

2019/00 253

फर्द अहकाम

(नियम-26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री विवेक वैष्णव निवासी बी-12, कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक, चित्तौड़गढ़

किरम प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 94/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.11.19	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री विवेक वैष्णव निवासी बी-12, कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़ ने सूचना प्राप्त हेतु एक आवेदन लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 09.09.19 को रजिस्टर्ड पोस्ट से प्रेषित किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से चाही गई सूचनाएँ राजस्व विभाग से संबंधित नहीं होकर उप पंजीयक, कार्यालय चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत अपीलार्थी का आवेदन अपने पत्रांक/ एडीएम/पीए/लोसूअ/2019/2263 दिनांक 23.09.2019 से उप पंजीयक, चित्तौड़गढ़ को स्थानान्तरित किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है।</p> <p>यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही अपील ग्रहण करता है उप पंजीयक, चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नहीं की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी (महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर) के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।</p>	

11-11-19



(चेतन देवडा)  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
(जिला कलक्टर)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

